Serial No. 6734 Circle:-:NA (1) Book No. :- 4 Deed No. 81

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

क्र० सं० .... दिनांक .... मूल्य 1000 .... फीस

X 123019

क्रेता का नाम पता ....

Serial No. 6734 Deed No. 81

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Patna City

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **26/09/2017** by **Rambrind Singh (Setlor)**
A Stamp Duty of Rs. **5000**/- and other Fees of Rs. **2500**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **81** in Book No. **4**, Volume No. **2** on pages from **428** to **444** and has been preserved in total **17** pages in C.D. No. **1** / Year **2017**

SCANNED By

Signature with Date
(Navin Kumar)
Registering Officer, **Patna City**

Date: 26/09/2017 Token No: 7019 /2017

GRN Verified & Success

<u>!! ॐ !!</u>

न्यास–पत्र (Deed of Trust)

यह न्यास पत्र आज दिनांक– 26/9/2017 ई0 को स्थान पटना, (बिहार) के द्वारा जो संस्थापक है जो कि ट्रस्ट के संस्थापक/ ट्रस्टी सदस्य के नाम से जाने जाएंगे।

9/26/2017

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी, सुख शान्ति, संगठन, सद्भाव, शिक्षा एवं विकास के साथ गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाये तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए। इसके निर्मित प्रारंभ **मुद्रा–1,00,000/–(एक लाख केवल)** रूप्या प्रदान करते हैं जो कि मैं निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक के रूप मे कार्यरत रहेंगे।

1. **न्यास का नाम–''ब्राईट वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट''**

(Bright Welfare & Educational Trust)

संस्थापक– श्री रामबृन्द सिंह, पिता श्री जगरनाथ सिंह, साकिन–सोनारू मोड़, पटेल नगर, पोस्ट वो थाना–फतुहाँ, जिला–पटना, भारतीय नागरिक।

(मोवाईल नं0–9572524009)

2. **न्यास का पंजीकृत कार्यालय–**गुरूकुल इन्टरनेशनल स्कूल, सोनारू मोड़, पटेल नगर, पोस्ट वो थाना–फतुहाँ, जिला–पटना,

3. **न्यास का कार्यक्षेत्र–** न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष तथा इसके (न्यास/ट्रस्ट) शाखा कार्यालय अलग–अलग कस्वों/प्रखण्डों/अनुमंडलों में स्थापित होंगे।

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक / न्यासकर्ता/ अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थाना के लिये होंगे और उसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणर्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो।

कुमारी प्रियंका 26.9.17

26.9.17

4. **न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या**- न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या सचिव साथ कम से कम तीन और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगे।

5. **न्यास का गठन :**

क्रमशः नाम/पिता का नाम पेशा सह पद

1. **श्री राम बृन्द सिंह, पिता श्री जगरनाथ सिंह, साकिन–सोनारू मोड़, पटेल नगर, पोस्ट वो थाना–फतुहाँ, जिला–पटना, भारतीय नागरिक।**

(न्यासकर्ता सह समाजसेवा न्यासी)

2. **श्री नबल किशोर सिंह, पिता स्व0 क्षत्रि सिंह, साकिन– रायपुर वलवा, थाना–फतुहाँ, पोस्ट–वरूणा, जिला–पटना, भारतीय नागरिक।**

(समाजसेवा न्यासी)

3. **कुमारी प्रियंका, पति श्री कृष्ण मुरारी हरि, साकिन–सोनारू मोड़, पटेल नगर, पोस्ट वो थाना–फतुहाँ, जिला–पटना, भारतीय नागरिक।**

(समाजसेवा न्यासी)

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए संस्थापक/ न्यासकर्त्ता / अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होंगे औरा इसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमं कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्राय हो।

संस्था का ज्ञापन

1. न्यास का नामः" ब्राईट वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट "

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय– पताः– गुरूकुल इन्टरनेशनल स्कूल, सोनारू मोड़, पटेल नगर, पोस्ट वो थाना–फतुहाँ, जिला–पटना,

3. ट्रस्ट का ध्येय एवं उद्देश्य :–

1. समाज में व्याप्त निरक्षरता को उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थान एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, इंजनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग स्कूल, वृद्धा आश्रम का संचालन करना। मेधावी गरीब छात्र–छात्राओं के प्रोत्साहित करना वो निः शूल्क शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।

2. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र–पत्रिकाओं को प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना। नाट्क, नृत्य, संगीत, वाद्‌य का प्रशिक्षण देना।

3. नेत्रहीन, मूक, बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चों, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।

4. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वंयं सहायता समूह, पालना गृह, पोष्टिक अहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

5. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

6. एन0सी0वी0टी0 (आई0टी0 आई0), एन0सी0टी0ई0, प्रशिक्षण के कार्यक्रमो का संचालन करना।

7. शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की स्वावलम्बी बनाने हेतु अंकण कला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल एवं अन्य तकनिकी, गैर तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।

8. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।

9. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल-विवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदाय वाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। आदर्श विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।

10. समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक, विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्सयपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।

11. लोगों के स्वास्थ की रक्षा हेतु स्वास्थ सेवा उपलब्ध करना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना । असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0, कालाजार, हेपोटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोंगों की चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर एवं कार्य करना।

12. उर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट, सौर उर्जा, उर्जा के गैर प्रारम्परिक स्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

13. पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरुक करना।

कुमारी प्रियंका 26.9.17

26.9.17

14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषिकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई, के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप, तालाव, पोखरा, आदि उपलब्ध करना। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करना।

15. बेसहारा पशुओं की समचित देख-रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना।

16. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यो का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, आदि उपलब्ध कराना। बाल-श्रमिकों के कल्याणर्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा, भोजन, एवं पुनर्वास, सेवागृह की व्यवस्था करना।

17. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिंग मधुबनी, पेन्टिंग एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।

18. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना, जातीय भेद-भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

न्यास का नियमावली

1. परिभाषाएं

क- न्यास का नाम-" ब्राईट वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट "

ख- न्यास का ट्रस्टी- संस्थापक/न्यासकर्ता/अध्यक्ष मुख्य न्यासी होंगे।

ग- मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी संस्थापक/न्यासकर्ता/अध्यक्ष इस न्यास के मुख्य पदाधिकारी होंगे।

2. सदस्यता

ट्रस्ट की सदस्यता के लिए विहित आवेदन संस्थापक/न्यासकर्ता/ अध्यक्ष के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता/ अध्यक्ष को अनुमति/ स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। सदस्यता पाँच प्रकार का होगा।

1. साधारण सदस्य कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 500 रूपये जमा कर वे न्यास के साधारण सदस्य हो सकते हैं।
2. स्थाई सदस्य- कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में 1000/- रूपया अदा कर वे न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते है।
3. संस्थापक सदस्य- कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे 2500/- रूपया अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं।
4. संस्थापक सदस्य- जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हो और स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहे जायेंगे और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 5000/- रूपया जमा करने होंगे।

3. सदस्यता की समाप्ति / विमुक्ति -

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर।
5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्काषित करने पर।

6. संस्थापक/ न्यासकर्ता/ अध्यक्ष द्वारा निष्कासित करने पर।

4. **न्यास का प्रबंधन**

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जायेग जिसमें पदाधिकारी सहित चार सदस्य होंगे प्रबंध समिति कार्यकाल 3 वर्षो का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने पर संस्थापक/ न्यासकर्ता/ अध्यक्ष का यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर न्यास प्रबंध समिति गठित कर लें।

विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनीत किये जायेंगे।

न्यास के उद्देश्य के पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होगेः–

1. दान, चन्दा, अनुदान, ऋण सदस्यता, शुल्क, सहयोग राशि, धन, सम्पति, व्यक्ति विशेष, संस्थान, स्वैच्छिक सगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और नजहित से कार्यक्रम संचालित करना।
2. समय–समय पर न्यास के कोष/ निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
3. न्यास के सम्पति में वृद्धि करने काउपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी के निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैक /डाकघर /एच0 डी एफ0 सी0/आई0सी0आईसी0आई/मल्टीनेशनल बैक में खाता खोलकर जमा करना।
4. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गाँधी फाउन्डेशन बैक, राष्ट्रीयकृत बैक, नवार्ड, कपार्ट, विश्व बैक या एशियन डेवलपमेंट

बैक, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

5. न्यास के कोष /निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जायेगा।

6. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पति किराये/लीज /पट्टे पर लेना एवं देना।

7. न्यास के नाम से बचत/चालू/आवर्ती जमा/अनावर्ती/जमा खाता खोलना और न्यास काकोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थापक /न्यासकर्ता/अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत न्यासी के हस्ताक्षर से करना और समय-समय पर संशोधन हेतु बैक/डाकघर को सूचित करना।

8. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/परामर्शदाता नियुक्त करना/अधिकृत करना।

9. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/अंशकालिन वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों/लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।

10. न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

11. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट /संगठन/संस्थान में सम्बद्ध होना,सम्बद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना।

12. न्यास का स्थानान्तरण/ हस्तानान्तरण करना या देना।

13. न्यास के सम्पति, कोष/ निधि समान उद्देश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक संगठन, न्यास /ट्रस्ट को देना।

14. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ, राज्य/जिला/प्रखण्ड/पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।

कुमारी प्रियंका 26.9.17

26.9.17

15. न्यास के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।

17. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 5 होगी और अधिक से अधिक हो सकती है।

18. संस्थापक/न्यासकर्त्ता/अध्यक्ष को अतिरिक्त न्यासी को मनोनीत करने का अधिकार होगा/उनका कार्यकाल संस्थापन/न्यासकर्त्ता/अध्यक्ष द्वारा तय किया जायेगा।

19. संस्थापक /न्यासकर्त्ता/अध्यक्ष को समय-समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन करने का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेगें।

5. प्रबंध समिति का निर्वाचनः-

प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्ष पर होगा। प्रबंध समिति का गठन के पश्चात निर्वाचन के आधार पर होगा।

6. प्रबंध समिति का अधिकारः-

प्रबंध समिति के संस्थापक द्वारा प्रबंध समिति के सदस्य मनोनीत होगे।

7. पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्त्तव्यः-

1. संस्थापक/न्यासकर्ता/अध्यक्ष संस्थान के सर्वोच्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगे।
2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।
4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।

कुमारी प्रियंका 26.9.17

26.09.17

6. आवश्यकता पडने पर निर्णायक मत देना या विवादग्रस्त परिस्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नही दी जायेगी।

7. न्यास के सभी कार्य और प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

8. अध्यक्ष जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

9. अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सकें।

10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनित प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होगें तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रद्द कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगे।

11. न्यास के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

12. न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/ कार्यक्रम बनाना।

13. न्यास के समस्त आय- व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश-विदेश के प्रतिनिधित्व करना।

15. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य सम्पादित करना/अनुपालन करना।

16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकारियों /कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।

17. राष्ट्रीय/ राज्य/जिला शाखा के कार्यो का पर्यवेक्षण करना।

कुमारी प्रियंका 26.9.17

26.09.17

18. ट्रस्ट के किसी तरह का कार्य अध्यक्ष के सहमति से होगा।

4. प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होगें:-

क. न्यास के सभी चल-अचल सम्पतियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।

ख. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आम सभी को स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतू सभी तरह के आवश्य कार्य करना।

ग. समान उद्देश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन, के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

घ. जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना।

ङ. प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

च. सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

छ. किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहूँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।

ज. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी।

5. प्रबंध समिति की बैठक

(1) साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सुचना दिया जाना आवश्यक होगा।

(2) प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी।

(3) बैठक में कुल सदस्यो की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

(4) स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सुचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

6. **आम सभा :-**

प्रबंध समिति द्वारा निश्चिम तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे।

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ठ करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना।
3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।
4. अेकक्षित आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
6. आगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान की अनुमति से विचार करना।
7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक/न्यासकर्त्ता/ अध्यक्ष/ सचिव/ की अनुमति से विचार करना।

7. **आसाधारण बैठक**

संस्थापक / न्यासकर्त्ता / अध्यक्ष के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में आसाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक / न्यासकर्त्ता/ अध्यक्ष की सलाह पर।
2. कुल सदस्यों की तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।

कुमारी प्रियंका 26.9.17

राकेश कुमार 26.9.17

26.09.17

3. सभा / बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापक / न्यासकर्त्ता / अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक / न्यासकर्त्ता / अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी।

4. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।

5. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

5. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत से दी जायेगी।

8. **कार्यकाल**

पदाधिकारियों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः मनोनित होने में कोई बाधा नहीं रहेगी।

9. **रिक्त पदों की पूर्ति**

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ठ कार्यकाल के लिए संस्थापक किसी भी अन्य सदस्य का मनोयन कर सकते हैं।

10 **आय का स्त्रोत**

न्यास के आय के निम्नलिखित स्त्रोत होंगे।

(क) प्रवेश शुल्क।

(ख) सदस्यता शुल्क।

(ग) आजीवन सदस्यता शुल्क।

(घ) दान एवं चन्दा।

(ङ) अनुदान।

~~(च) ऋण।~~

(छ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से / चैरिटी शो के आयोजन/ शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से।

(ज) सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क।

(झ) निबंधन जब चाहें न्यास का अंकेक्षण कर सकते हैं। जिसकी खर्च न्यास वहन करेगी।

11. **कोरम**

आम सभा/ प्रबंध समिति की बैठक का कोरम सदस्य न्यास के 2/3 भाग का होगा।

12 **न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन :-** न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में समावेश एवं संशोधन मुख्य न्यासी द्वारा साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष लिया जाएगा।

इस वास्ते यह ट्रस्ट लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहें।

26.09.17

न्यासकर्ता का हस्ताक्षर

गवाह

1. Krishna Murari Hari 26.09.17.
Vill- Niyajipur
P.O+P.S - Fatuha
Dist. Patna

26.09.17

न्यासी का हस्ताक्षर

2. Umesh Kumar.
Vill+Po- Bairiphari
P.S- Agamkuan
Patna-7.

कुमारी प्रियंका
26.9.17

26/9/2017

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	5000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs.	6500/-

Registration Fee (FEE PAID)

A1	2000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	2000

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 500

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 2500

Registering Officer
Patna City

Date: 26/09/2017

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna City on Tuesday, 26th September 2017 by Rambrind Singh (Setlor) Sri Jagarnath Singh by profession Others. Status -

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:26/09/2017**

Registering Officer
Patna City

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Krishna Murari Hari' age '31' Sex 'M', 'Ram Brind Singh', resident of 'Niyajipur, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna City

Date : 26/09/2017

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna City in Book 4 Volume No. 2 on pages on 428 -444, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-1 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

SCANNED By
RK.Mishra
26/09/17

Registering Officer
Patna City

Date : 26/09/2017

Token No. : 7019 **Year : 2017** **S.No. : 6734** **SCORE Ver.4.1** **Deed No . :d No . : 81**